अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

126/2020/225 गिरिराजसिंह V/s विरेन्द्र सिंह व अन्य

तारीख पेशी	2020/00126 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री सुखरामजाट / श्री जगदीश केन्धी	
10/8/2020	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश हुई । विद्वान अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया । विद्वान वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि रेस्पो0/वादीगण/ रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के द्वारा अधी0न्यायाा0 के समक्ष घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, बंटवारा हेतु वाद प्रस्तुत प्रस्तुत किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिलोरा, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर में खाता संख्या **490** के खसरा संख्या 2221 रकबा 0. 23 है0, खसरा संख्या 2222 रकबा 0.05 है0, खसरा संख्या 2223 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 2225 रकबा 0.59 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 2.88 है0 भूमि में प्रार्थीगण के दादा शैतानसिंह का हिस्सा 97/474 मे से प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा है जिसमें से प्रार्थीगण का संयुक्त हिस्सा 3/4 अविभाजित व अप्रार्थी संख्या 7 का हिस्सा 377/474 है । खाता संख्या **491** के खसरा संख्या 1897 रकबा 0.02 है0, खसरा संख्या 1898 रकबा 0.22 है0, खसरा संख्या 2224 रकबा 0.10 है0, खसरा संख्या 2236 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 2237 रकबा 2.01 है0, खसरा संख्या 2238 रकबा 0.10 है0, खसरा संख्या 2239 रकबा 0.04 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 3.18 है0 संपूर्ण प्रार्थीगण के दादा स्व0 शैतानसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है जिसमें प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा है जिसमें प्रार्थीगण का संयुक्त हिस्सा 3/4 अविभाजित है । नया खाता संख्या **492** के खसरा संख्या 2213/2763 रकबा 0.20 है0 खसरा संख्या 2225/2764 रकबा 0.48 है0, खसरा संख्या 2226 रकबा 0.01 है0, खसरा संख्या 2227 रकबा 0.05 है0, खसरा संख्या 2229 रकबा 0.02 है0, खसरा संख्या 2230 रकबा 0.04 है0, खसरा संख्या 2231 रकबा 0.02 है0, खसरा संख्या 2232 रकबा 0.09 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.91 है0 में प्रार्थीगण के दादा शैतानसिंह का हिस्सा 53/113 में से प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/6 है जिसमें प्रार्थीगण का संयुक्त हिस्सा 3/4 अविभाजित व अप्रार्थी संख्या 7 का हिस्सा 60/113 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । उक्त आराजियात में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 संयुक्त काश्तकार है तथा नया खाता संख्या 591 के खसरा नबर 2233 रकबा 0.03 है0 रकबा 0.03 है0 मे प्रार्थीगण के दादा शैतानसिंह का संपूर्ण में से प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा है जिसमें से प्रार्थीगण का संयुक्त हिस्सा 3/4 है । उक्त आराजियात प्रार्थीगण के दादा शैतानसिंह की पैतृक सम्पति है जो राजस्व रिकार्ड के नये खाता संख्या 490, 491, 492 व 591 में दर्ज उक्त खसरा नंबरान की आराजियात में विभाजित है । प्रार्थीगण के दादा शैतानसिंह का स्वर्गवास सितम्बर 2006 में हो चुका है । उनके स्वर्गवास के उपरांत विवादित आराजियात खाता संख्या 491 व 492 का फौती नामांतकरण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के नाम खुल गया किन्तु खाता संख्या 490 व 591 का नामांतकरण आज तक नहीं खुला है इस कारण आज भी उक्त आराजियात राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के दादा स्व0 शैतानसिंह के नाम दर्ज चली आ रही है । उक्त आराजियात में प्रार्थीगण का पैतृकता के आधार पर अपने हिस्से की सम्पति की घोषणा अपने हक में करवाने के अधिकारी है । विवादित आराजियात धार्मिक नगरी पुष्कर के निकट होने के कारण उक्त विवादित भूमि की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है जिस कारण अप्रार्थीगण के मन में बदनियति आ गयी है । अप्रार्थीगण भूमि का बिना बंटवारा कराये वादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भूखण्डों के रूप में बेचने एवं निर्माण करने पर आमादा हो रखे है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार	निरन्तर---
राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर		

FORM NO III APP-A

फर्द अहकाम Crim-1

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

बनाम

गिरिराजसिंह विरेन्द्रसिंह आदि

किस्म मुकदमा 225 R.T. Act नम्बर 126/2020 सन् 20 (पुष्कर)

तारीख	2020/07/26 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री सुखदानन्द जोशी / श्री जगदीश ...	
निरन्तर --	कर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात रहन, दान, बैचान, अंतरण आदि नहीं करने तथा प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया । जिस पर अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 14.7.2020 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता सुनकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये बिना ही एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश से आगामी पेशी दिनांक 7.8.2020 तक पाबंद कर दिया । अधी0न्याया0 का यह आदेश न्याय, नियम विधि के सिद्धांतों के विपरीत है ।	
	विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय आदेश है तथा उक्त प्रकरण के नोटिस प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर अप्रार्थीगण को आज दिन तक नहीं भिजवाये गये है । अपीलांट विवादित आराजियात का संयुक्त रूप से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का वादग्रस्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नही है तथा न ही उनका कब्जा काश्त है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । अधी0न्याया0 ने एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना सुने एकतरफा में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित कर विधिक त्रुटि कारित की है । रेस्पो0 संख्या 1 से 3 रेस्पो0 संख्या 4 के पुत्र है तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने रेस्पो0 संख्या 4 से मिलीभगती करके वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है । रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पिता रेस्पो0 संख्या 4 भवानीसिंह जीवित है ऐसी स्थिति में रेस्पो0 संख्या 1 से 3 अपने पिता के जीवनकाल में किसी भी प्रकार के व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते है तथा न ही किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार ही है । अधी0न्याया0 ज्यादा से ज्यादा रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पिता के हिस्से की आराजियात बाबत् रेस्पो0 संख्या 4 को पाबंद कर सकते थे किन्तु अधी0न्याया0 ने संपूर्ण आराजियात बाबत् अपीलांट को सुने बिना एकपक्षीय आदेश पारित किये है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.7.2020 को निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 523 एवं आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 907 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।	
	हमनें अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रथम पेशी दिनांक 14.7.2020 को ही विवादित आराजियात	निरन्तर -- 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पृष्ठ 3

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

126/2020/225 गिरिराजसिंह V/s विरेन्द्र सिंह आदि

तारीख पेशी	2020/00126 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री सुखराम चौधरी / श्री ...चौधरी	
निरन्तर...	बाबत् अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कर अप्रार्थीगण को मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी दिनांक 7.8.2020 या अप्रार्थीगणों द्वारा युक्तियुक्त जवाब पेश करने तक बनाये रखने के आदेश पारित किये है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात खाता संख्या 490, 491, 492 एवं 591 के मूल खातेदार अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 4 से 8 के पिता स्व0 शैतानसिंह थे। शैतानसिंह का स्वर्गवास सितम्बर, 2006 में होना अपीलांट ने अपने अपील मीमों में अंकित किया है । शैतानसिंह के स्वर्गवास के उपरांत खाता संख्या 491 व 492 का फौती नामांतकरण मूल खातेदार शैतानसिंह के पुत्र एवं पुत्रियों के नाम स्वीकृत होना बताया किन्तु खाता संख्या 490 व 591 की आराजियात का नामांतकरण आज दिवस तक नहीं खुलना अंकित किया है । उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण / रेस्पो0 संख्या 1 से 3 विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार न होकर उनके पिता भवानीसिंह रेस्पो0 संख्या 4 संयुक्त खातेदार है । रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अधी0न्याया0 के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह सिद्ध हो कि उनके पिता द्वारा विवादित भूमि का बेचान, हस्तातंरण इत्यादि किया जा रहा हो । अपीलांट विवादित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर संयुक्त रूप से काबिज है इसके विपरीत रेस्पो0 संख्या 1 से 3 विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार नहीं है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को एक रिकार्डेड खातेदार तथा काबिज काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद करने से पूर्व सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश पारित करने चाहिये थे किन्तु अधी0न्याया0 ने रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश द्वारा अपीलांट को पाबंद जिसे विधिसम्मत् आदेश नहीं माना जा सकता है । हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील को इसी स्तर पर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.7.2020 को निरस्त कर प्रकरण अधी0न्याया0 को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को 30 दिवस में गुणावगुण पर निर्णित करे । अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.7.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारित करे । अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का निस्तारण होने पर हाजा न्यायालय का आदेश स्वंतः ही निष्प्रभावी माना जावेगा । आदेश की प्रति अधी0न्याया0 को भिजवाई जावे । प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (मेघना चौधरी) राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर	